रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 जुलाई, 2002/17 आषाढ़, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(डी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 16 मई, 2002

संख्या जी० ए० डी०(डी) 1(ए) 1-4/89.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या जी० ए० डी०(डी) 1(ए) 1-4/89, तारीख 2-12-1994 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश (सम्पदा निदेशालय) में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सम्पदा निदेशालय) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश (सम्पदा निदेशालय) लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1994 के उपाबन्ध "अ" में :—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"रुपये 3120-100-3220-110-3660-120-5160"

(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"18 से 45 वर्ष"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात:—

"वरिष्ठतम चपड़ासी/चौकीदार/आदेशिका तामीलकर्ता जो दसवीं पास या हिन्दी (रत्न) मैट्रिक अंग्रेजी के एक विषय सहित पास हो और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, में से प्रोन्नति द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

(3) उक्त नियमों के उपाबन्ध "अ" के स्तम्भ 14 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"अभ्यर्थी किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिक अवश्य होना चाहिए" ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this department notification No. GAD-(D)1(A)1-2/89-loose dated* 16-5-2002 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Section-D)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 16*th May*, 2002

No. GAD-(D)1(A)1-4/89.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H. P. Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh (Directorate of Estates) Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1994 notified *vide* notification No. GAD-(D)1(A)1-4/89, dated 2-12-1994, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Directorate of Estates (Clerk), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-A.*—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Directorate of Estates (Clerks) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1994:—

(*a*) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted namely:—
"Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-5160".

(*b*) For the existing entries against Column No. 6, the following shall be substituted, namely:—
"Between 18 to 45 years".

(*c*) For the existing entries against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from senior most Peon/Chowkidar/Process Server who are Matriculate or Hindi (Rattan) with Matric English as one of the subject passed and have

five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/Promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

(3) For the existing entries against Column No. 14 of Annexure "A" of said rules, the following shall be substituted, namely :—

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India".

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(डी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 मई, 2002

संख्या जी0ए0डी0-(डी) 1(ए) 1-2/89.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0(डी) 1(ए) 1-2/89, तारीख 20-12-1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (सम्पदा निदेशालय) में अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन (सम्पदा निदेशालय) अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—(1) हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन (सम्पदा निदेशालय) अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995:—

(क) उपाबन्ध "अ" में स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएगे अर्थात् :—

"6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपये" ।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके 6 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा-काल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this department notification No. GAD-(D)1(A)1-2/89-Loose, dated* 16-5-2002 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Section-D)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 16*th May*, 2002

No. GAD-(D)1(A)1-2/89.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh General Administration (Directorate of Estates) Superintendent Grade-II, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995, notified *vide* Notification No. GAD-(D)1(A)1-2/89, dated 20-12-1995, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, General Administration (Directorate of Estates) Superintendent Grade-II, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—(1) In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh, General Administration (Directorate of Estates) Superintendent Grade-II, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995.

(*a*) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640".

(*b*) For the existing entries against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Senior Assistants having six years regular or regular combined with continuous *ad hoc* service (rendered upto 31-3-1998), if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that:

(*i*) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *ex-servicemen* recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) rules, 1972 and having been given the benefit of senioirity thereunder or recruited under the povisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) rules, 1985 and having been given benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to the regular appointment/promotion shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provision of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-98 as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित